निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 32/अपील 14(4)/15 तारिख दायरा: 22.05.2015

उनवान

01. गोकुलसिंह आयु 67 वर्ष आ0 मन्नासिंह जाति राजपूत नि0 सिंघानिया तहसील झालरापाटन
02. जोधसिंह आयु 67 वर्ष आ0 मन्नासिंह जाति राजपूत नि0 सिंघानिया तहसील झालरापाटन (प्रार्थी न0 2 का नाम डिलीट किया गया)
03. मदनसिंह आयु 72 वर्ष आ0 मन्नासिंह जाति राजपूत नि0 सिंघानिया तहसील झालरापाटन
04. डूंगरसिंह आयु 40 वर्ष आ0 सोदानसिंह जाति राजपूत नि0 सिंघानिया तहसील झालरापाटन
05. रामसिंह आयु 38 वर्ष आ0 सोदानसिंह जाति राजपूत नि0 सिंघानिया तहसील झालरापाटन
06. उम्मेदकंवर आयु 36 वर्ष आ0 सोदानसिंह जाति राजपूत नि0 सिंघानिया तहसील झालरापाटन

बनाम

01. बलबीरसिंह आ0 मानसिंह जाति राजपूत नि0 सिंघानिया तहसील झालरापाटन
02. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गॉव के संग 2001, पंचायत समिति झालरापाटन उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

प्रा0पत्र बनाराजी आवंटन आदेश भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये प्रभारी अधिकारी,प्रशासन गांव के संग 2001 पंचायत समिति झालरापाटन उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ राजस्थान अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः— श्री सुदामा राठोर अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री संजय कुमार सक्सेना अभिभाषक रेस्पो0 1 की और से
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

दिनांकः 22.05.2018

यह अपील भू आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 09.01.2002 जिसके द्वारा आवंटी बलबीर को ग्राम सिंघानिया तहसील झालरापाटन की आराजी ख0न0 269 रकबा 2.15 बीघा, ख0न0 270 रकबा 0.07 बीघा आराजी का आंवटन किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेमों में निवेदन किया गया कि आवंटन विधि के सिद्धान्तो 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के सर्वथा विपरित तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आवंटन निरस्त होने येाग्य है। अप्रार्थी न0 2 द्वारा आवंटित भूमि के कब्जे तथा भूमि के उपयोग व आवंटन के वक्त भूमि के भविष्य में उपयोग के सम्बन्ध में जांच नही की। उक्त भूमि भवानीमण्डी झालावाड़ मेगा हाईवे से लगी हुई है, जो एक लम्बी पट्टी के रूप में हैं किसी भी सूरत में कृषि के लिये उपयोग की आराजी नही है, आवंटन से आज तक इस आराजी का कृषि में उपयोग नही हुआ है। उक्त भूमि पर वर्तमान में पेट्रोल पम्प का निर्माण हेाना प्रस्तावित है तथा इसके अलावा अन्य वाणिज्यिक उपयोग करना भी प्रस्तावित है। प्रार्थीगण के निहित होने वाले रास्ते को नही देखा गया,प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी की आराजी पर आने जाने के लिये उक्त आराजी पर रास्ता बना हुआ है। तहसीलदार द्वारा आंवटित भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में अनाधिकृत भूमियों की सूची गांववार प्रपत्र संख्या 1 में तैयार नही की व इस सम्बन्ध में पंचायत,पंचायत समिति एंव तहसील कार्यालय में उपलब्ध कराई। उक्त भूमि बाबत उद्घोषणा जारी नही की गई। आवेदन पत्र सही प्रारूप में नही लिया गया तथा आवेदन पत्रों के रजिस्टर में प्ररूप संख्या 4 में प्राप्ति प्रविष्ट ही किया गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन के लिये पात्रता व प्राथमिकतांए भी तय नही की गई। भू आवंटन आदेश प्रपत्र संख्या 5 में जारी नही किया गया एंव भूमि का कब्जा भोतिक रूप से आवंटी को संभलाया गया है। आंवटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व रेस्पो0 को तलब किया गया रेस्पो0 1 की और से अभिभाषक श्री संजय सक्सेना का वकालतनामा पेश हुआ व उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रार्थी न0 2 द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जाने पर उनका नाम डिलीट किया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः अंकन किया कि आवंटित आराजी अप्रार्थी के अधिकार में थी व उक्त आंवटित आराजी से लगवा अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि थी आवंटन सही किया गया है। आंवटन शुदा आराजी पर पेट्रोल पम्प स्थापित नही है,श्रीमति सरला ने अपने स्वामित्व की भूमि पर पेट्रोल पम्प स्थापित किया है। प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का रास्ता होना गलत है।प्रा0पत्र की मद संख्या 4,6,7,8,9 के समस्त तथ्य स्वीकार नही है। अतिरिक्त आपत्तियों में अकंन किया कि झालरापाटन से भवानीमण्डी मेगा हाइवे दिनांक 04.03.2012 में बनना प्रारम्भ होकर बना है आवंटन के समय मेगा हाइवे मोजूद नही था। अप्रार्थी की आराजी ख0न0 269 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा में से 04 बिस्वा आराजी मार्ग हेतु समर्पित कर दी है– इस कारण वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में खसरा न0 269 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा आराजी ही मौजूद है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि दिनांक 09.01.2002 जिसके द्वारा आवंटी बलबीर को ग्राम सिंघानिया तहसील झालरापाटन की आराजी ख0न0 269 रकबका 2.15 बीघा,ख0न0 270 रकबा 0.07 बीघा आराजी का आंवटन किया गया आवंटन विधि के सिद्धान्तो 14(4)कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के सर्वथा विपरित तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आवंटन निरस्त होने येाग्य है। अप्रार्थी न0 2 द्वारा आवंटित भूमि के कब्जे तथा भूमि के उपयोग व आवंटन के वक्त भूमि के भविष्य में उपयोग के सम्बन्ध में जांच नही की। उक्त भूमि भवानीमण्डी झालावाड़ मेगा हाईवे से लगी हुई है, जो एक लम्बी पट्टी के रूप में हैं किसी भी सूरत में कृषि के लिये उपयोग की आराजी नही है, आवंटन से आज तक इस आराजी का कृषि में उपयोग नही हुआ है। उक्त भूमि पर वर्तमान में पेट्रोल पम्प का निर्माण होना प्रस्तावित है तथा इसके अलावा अन्य वाणिज्यिक उपयोग करना भी प्रस्तावित है। प्रार्थीगण के निहित होने वाले रास्ते को नही देखा गया,प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी की आराजी पर आने जाने के लिये उक्त आराजी पर रास्ता बना हुआ है। आवंटन से पूर्व विधिपूर्वक कार्यवाही नही की गई । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन के लिये पात्रता व प्राथमिकताएं भी तय नही की गई। भूमि का कब्जा भोतिक रूप से आवंटी को संभलाया गया है। आंवटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 1 द्वारा व्यक्त किया कि अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया है,वर्तमान में आंवटित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रा0पत्र निराधार है खारिज किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने आवंटन को नियमानुसार सही बताया ।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि आवंटी बलबीर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जो आंवटन किया गया है वह नियत प्रारूप में नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि आवंटी को उक्त भूमि पर दखल दिया जा चुका है। अप्रार्थीगण यह साबित करने में विफल रहें हैं कि आंवटन किस प्रकार विधि के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरित है। प्रकरण में आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नही किया जाना भी प्रकट नही होता है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्जावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ना तो दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है और ना ही वे यह साबित कर पाये हैं कि आवंटन किस प्रकार विधि विरूद्ध है । उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र निराधार होने से अस्वीकार होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड